	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक **संक्षिप्त कार्य विवरण**
	चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-19

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016</u>

(चैत्र 10, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 04 तथा 06 से 15 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 एवं 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री मनोज सिंह मंडावी एवं श्रीमती देवती कर्मा अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 की प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम के स्थान पर श्री भोलाराम साहू, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित एवं 38 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बिलासपुर विश्वविद्यालय का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14,
2. श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15,
3. श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन

अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के पद (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2014-15, तथा

4. श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15 **पटल पर रखे।**

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य ने सूरजपुर जिले के नवापारा स्थित एसईसीएल द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजा एवं नौकरी प्रदान नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य ने जिला बालोद की तांदुला नदी पर बने एनीकट के एप्रोच रोड के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री तोखन साहू, संसदीय संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री देवजी भाई पटेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, अवधेश सिंह चंदेल, अमरजीत भगत,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ.खिलावन साहू, श्री भूपेश बघेल, श्री नवीन मारकण्डेय, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियमों के अंतर्गत विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण हेतु 5 बजे तक का समय नियत है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आना है। अत: मैं सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 158(2) को शिथिल कर 6 बजे का समय निर्धारित करता हूं।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रम 5 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(क्रमांक 4 (2), (3), (4) के लिए अनुपूरक सूची जारी हुई)

मान‍नीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - मैंने 1. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) 2. छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) 3. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में स्थायी आदेश क्रमांक 24 को, सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान की है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

2. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

3. छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

4. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

मान‍नीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - मैंने 1. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) 2. छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन्

2016) 3. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उन्होंने क्रमश: 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

5. प्रतिवेदन पर चर्चा

थाना चांदो, अंतर्गत ग्राम नवाडीह चेड़रानाला के पास, जिला-बलरामपुर में हुए पुलिस मुठभेड़ में कुमारी मीना खलको की मृत्यु के न्यायिक जांच प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. प्रीतम राम, श्री अवधेश सिंह चंदेल, डॉ(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री अमरजीत भगत, भूपेश बघेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 7.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 31 मार्च, 2016 (चैत्र - 11, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा